भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 653

06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि बजट

653. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ः

श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः

कुंवर दानिश अलीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के बजट में वृद्धि की है और यदि हां, तो वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष में निर्धारित/उपयोग की गई/अप्रयुक्त/वापस भेजी गई धनराशि का ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों के दौरान लगभग एक लाख करोड़ रूपए की धनराशि को अप्रयुक्त बजट आवंटन के रूप में वापस भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बजट आबंटन में से 21,005.13 करोड़ रूपए की राशि अप्रयुक्त रही है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रयुक्त रही राशि की तुलना में पांच गुना अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और निधि का उपयोग न किए जाने संबंधी उदासीनता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार उत्तर-पूर्व राज्यों, अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए पर्याप्त बजट का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि वापस की गई निधि का उपयोग कृषि के विकास के लिए किया जाए ताकि किसानों का कल्याण सुनिश्चित हो सके; और

(च) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों के संकट को कम करने तथा उनकी आय को दोगुना करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान बजट से आवंटित, उपयोग की गई और अप्रयुक्त धनराशि का विवरण इस प्रकार है;

(राशि: करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि**
1	2019-20	109261.4	101740.2	7521.19
2	2020-21	124060.1	115856	8204.04
3	2021-22	126202.7	122712.1	3490.58
4	2022-23	118256.4	109561	8695.41
	योग	477780.6	449869.3	27911.22

कुल बजट में से, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटन, अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया गया है और मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि इन मदों के तहत निर्धारित धनराशि का उपयोग प्रभावी ढंग से हो।

(च): भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में, जब सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग थे, तब कुल बजट आवंटन केवल 27662.67 करोड़ रुपये था। इन मंत्रालयों/विभागों के बाद में अलग होने के बावजूद भी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें, बीज, यंत्रीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि समूचे परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

क्र.सं.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित मिशनों/योजनाओं की सूची
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	
1	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
2	10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
3	संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
4	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
5	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
6	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
7	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
8	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
***	
केंद्रीय प्रायोजित योजना (कृषोन्नति योजना)	
9	डिजिटल कृषि
10	समेकित कृषि विपणन योजना
11	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
12	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
13	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
14	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन)
15	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ-ओपी)
16	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
***	
केंद्रीय प्रायोजित योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई))	
17	कृषि वानिकी
18	फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
20	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
21	वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
22	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
23	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता
24	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

***